पुस्तकालय
(1)
3423
30/4/15

22 APR 2015

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रै०सं०......1007......तिथि......30-4-15

क्रम सं०-४९/श्री शिवजी राय,स०वि०स०

(माननीय सदस्य श्री रामसेवक सिंह द्वारा पढ़ा गया।)

श्री रामसेवक सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिले के मधुबन प्रखण्ड अन्तर्गत मधुबन गड़हिया मुख्य पथ में कोईलहरा मुशहरी टोली (महादलित टोला) के निकट पुल का निर्माण करावे।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल मधुबन से गड़हिया पी०एम०जी०एस०वाइ० पथ पर अवस्थित है। यहां पर ६.३ मी० लंबे आर०सी०सी० कल्वर्ट के निर्माण की आवश्यकता होगी। इसको पी०एम०जी०एस०वाइ० मिसिंग लिंक ब्रिज के अन्तर्गत तैयार की जानेवाली सूची में सम्मिलित कर डी०पी०आर० तैयार करने का निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया गया है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री रामसेवक सिंह : वापस लेते हैं सर।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शिवजी राय जी का प्रस्ताव सदन की सहमति से वापस हुआ।

क्रम सं०-५०/श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन,स०वि०स०-अनुपस्थित।

क्रम सं०-५१/श्री परमानन्द ऋषिदेव,स०वि०स०

(इस संकल्प को आसन द्वारा निरस्त किया गया।)

क्रम सं०-५२/श्री तारकिशोर प्रसाद,स०वि०स०

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के हसनगंज प्रखंड में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत पावर सब स्टेशन निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारंभ करावे।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, कटिहार जिला के हसनगंज प्रखंड में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत पावर सब स्टेशन के निर्माण हेतु जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। उक्त कार्य हेतु १२वीं योजना अन्तर्गत एजेन्सी मे० इनरोंगो इंजीनियरिंग लि० का चयन किया गया है। कार्य पूरा कराने का लक्ष्य अगस्त, २०१६ निर्धारित है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पावर सब स्टेशन हसनगंज के लिए एक जमीन पूर्व में हस्तांतरित हुई थी दूसरी जमीन भी..........

अध्यक्ष : आप क्या माननीय सदस्य......

श्री तारकिशोर प्रसाद : एक मिनट सुनिये न सर। दूसरी जमीन थोड़ा फिजिबल नहीं है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : आप सुने नहीं मैंने कहा जमीन कर लिया गया है, टेंडर की एजेन्सी भी चयनित कर लिया गया है। २०१६ तक निर्धारित है उसको पूरा करने का और क्या कहना है?

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जमीन हस्तानान्तरण की प्रक्रिया नहीं प्रारंभ की गयी है। हम जान रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। उस प्रक्रिया को........

अध्यक्ष : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी उस जमीन को हस्तांतरण कराकर पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य करायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद जी का प्रस्ताव सदन की सहमति से वापस हुआ।

क्रम सं०-५३/श्री पद्म पराग राय वेणु,स०वि०स०

श्री पद्म पराग राय वेणु : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखण्ड के खवासपुर पंचायत में परमान नदी पर कौआचाड़ घाट पर आर०सी०सी० पुल का निर्माण करावे।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ पटेंगाना खवासपुर पथ पर अवस्थित है। उक्त पथ की लंबाई १०० मी० होगी। उक्त पुल का डी०पी०आर० तैयार करने हेतु सर्वेक्षण कार्य किया गया है तथा डी०पी०आर० तैयार करने की प्रक्रिया में है- एन०आर०आर०डी०ए० भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् उक्त पुल का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा। अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री पद्म पराग राय वेणु : जी वापस लेते हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पद्म पराग राय वेणु जी का प्रस्ताव सदन की सहमति से वापस हुआ।

क्रम सं०-५४/श्री रणधीर कुमार सोनी,स०वि०स०

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए न, आसन ने उसे निरस्त कर दिया गया, आसन ने उसको नहीं लेने का निर्णय किया।

क्रम सं०-५५/श्री मदन सहनी,स०वि०स०

श्री मदन सहनी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत बहादुरपुर प्रखंड के सैदनगर पोखरा के निकट सड़क के किनारे स्थित भूमि पर खुदरा मछली मंडली का निर्माण करावे।"

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का अभिस्ताव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है, फिर भी माननीय सदस्य की भावना की कद्र करते हुए अभिस्ताव के विषय वस्तु से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को विभागीय पत्रांक-१०२, दिनांक १६.०४.१५ के द्वारा हस्तगत करा दिया गया है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने अभिस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।